अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नामः– सुश्री अमृता खण्डेलवाल (आर0 ए0 एस0)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 21/2025
दायर दिनांकः– 11–06–2025
निर्णय दिनांकः– 03–10–2025

उनवान

रोमिका लाल पत्नी गजेन्द्र प्रसाद बेनीवाल जाति खटीक निवासी 56 बी ब्लॉक मु डी डी ए फलैट पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110034
––(प्रार्थीया)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सैंथल जिला दौसा।
––(अप्रार्थी)

उपस्थिति :– 1–श्री रामरूप गुर्जर अधिवक्ता––––(प्रार्थीया)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 128 एल आर एक्ट
सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने बाबत

निर्णय दिनांकः–03–10–2025

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीया 56 बी ब्लॉक मु डी डी ए फलैट पीतरपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली की रहने वाली है। इनकी भूमि ग्राम शिवरामपुरा पटवार हल्का चौरडी भू0अभि0नि0 क्षेत्र बिशनपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा में भूमि जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार खाता संख्या नया 156, पुराना 166 आराजी खसरा नम्बर 1635/7 रकबा 0.4000 है0 नहरी, कुल किता एक कुल रकबा 0.4000 है0 व जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार खाता संख्या नया 163, पुराना 148 आराजी खसरा नम्बर 1636 करबा 0.3500 है नहरी कुल किता एक कुल रकबा 0.3500 है0, कुल खाते दो व कुल किता दो कुल रकबा 0.7500 है0 स्थित है।

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होती चली आ रहीं है। उक्त भूमि में प्रार्थीया कृषि भूमि में फसल पैदावार करती है एवं प्रार्थीया अपनी भूमि पर फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों तरफ मिट्टी की कच्ची ढोली व तारबंदी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहती है।

उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीया द्वारा दिनांक 01.05.2025 को कराया जा चुका है (प्रति संलग्न है)। प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा संबंधि विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीया अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि की पत्थरगढी कराना चाहती है। तहसीलदार सैंथल को आदेश फरमाया जावे कि वो ग्राम शिवरामपुरा पटवार हल्का चौरडी भू0अभि0नि0 क्षेत्र बिशनपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा में भूमि जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार खाता संख्या नया 156, पुराना 166 आराजी खसरा नम्बर 1635/7 रकबा 0.4000 है0 नहरी, कुल किता एक कुल रकबा 0.4000 है0 व जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार खाता संख्या नया 163, पुराना 148 आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

नम्बर 1636 करबा 0.3500 है0 नहरी कुल खाते दो व कुल किता दो कुल रकबा 0.7500 है0 की राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस सहायता से उक्त भूमि की वास्तविक पैमाइस कर भूमि के चारो तरफ सीमाओं पर पत्थरगढी के निशान कायम कर पत्थर गाढे ताकि कोई सीमाओं सम्बन्धी विवाद ना रहे। न्यायालय श्रीमान को धारा 128 लैण्डरेवेन्यू एक्ट के तहत पत्थरगढी के आदेश देने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में खाता संख्या नया 156, पुराना 166 आराजी खसरा नम्बर 1635/7 रकबा 0.4000 है0 नहरी, खाता संख्या नया 163, पुराना 148 आराजी खसरा नम्बर 1636 करबा 0.3500 है नहरी कुल किता एक कुल रकबा 0.3500 है0 नहरी, कुल खाते दो व कुल किता दो कुल रकबा 0.7500 है0 स्थित वाके ग्राम शिवरामपुरा पटवार हल्का चौरडी भू0अभि0नि0 क्षेत्र बिशनपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा के संबंध में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.08.2025 पत्र क्रमांक/भू0अ0/2025/1298 पेश की गई। जिसके अनुसार तहसीलदार सैंथल ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 1 यह है कि वादी स्वयं साबित करें। चरण संख्या 2 ग्राम शिवरामपुरा खसरा नम्बर 1636 रकबा 0.35, 1635/7 रकबा 0.40 है0 रोमिका लाल पत्नी गजेन्द्र प्रसाद बेनीवाल हिस्सा पूर्ण जाति खटिक के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो सही है। चरण संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 वादी स्वयं साबित करें तथा 8 श्रीमान के न्यायालय से सम्बन्धित है।

अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी खेत की पशुओं से सुरक्षा एवं तारबंदी के कारण प्रार्थीया अपने खेत की पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है। अतः पत्थरगढी करवाए जाने हेतु आदेश प्रदान करावें। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सैंथल को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 156, पुराना 166 आराजी खसरा नम्बर 1635/7 रकबा 0.4000 है0 नहरी व खाता संख्या नया 163, पुराना 148 आराजी खसरा नम्बर 1636 करबा 0.3500 है नहरी कुल किता एक कुल रकबा 0.3500 है0 नहरी, कुल खाते दो व कुल किता दो कुल रकबा 0.7500 है0 स्थित वाके ग्राम शिवरामपुरा पटवार हल्का चौरडी भू0अभि0नि0 क्षेत्र बिशनपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा की टीम द्वारा की नियमानुसार पैमाइश करवाकर प्रार्थिया के खर्चे से पत्थरगढी की जाने हेतु कार्यवाही करावें तथा पत्थरगढी के दौरान मौके पर किसी अन्य का कब्जा पाया जाता है तो उसे जरिये पत्थरगढी ना हटाया जावें तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

तहसीलदार सैंथल पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से पेश करें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, सैंथल को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री अमृता खण्डेलवाल आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकरी सैंथल
जिला दौसा।